

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई  
जन स्वास्थ्य विभाग  
एनआईटी

कार्य का नाम :— बड़ा नाला सफाई हेतु किराये पर मिनी चैन एक्सावेटर उपलब्ध कराने के संबंध में।

| क्र. | कार्य का नाम   | कार्यावधि | प्रतिदिन दर (8 घंटा) अंको में | प्रतिदिन दर (8 घंटा) शब्दों में | कुल राशि |
|------|--|-----------|-------------------------------|---------------------------------|----------|
| 1.   | 01 नग मिनी चैन एक्सावेटर 140 (वाहन चालक, हेल्फर, ईंधन सहित) किराये पर उपलब्ध कराने वाला। | 30 दिवस   |                               |                                 |          |

- टीप :— 1. मिनी चैन एक्सावेटर 140 (वाहन चालक, हेल्फर, ईंधन सहित) उपलब्ध कराना होगा।  
2. मिनी चैन एक्सावेटर मशीन को नियारित स्थल पर स्थय के व्यय से पहुँचाना होगा।

*8/1001*  
कार्यपालन समियता  
नगर पालिक निगम  
भिलाई

**कार्यालय नगर पालिक निगम, भिलाई**  
**—: मिनी चैन एक्सावेटर किराये पर उपलब्ध कराने हेतु**  
**विशेष नियम शर्तें :-**

- निविदाकार उपलब्ध कराये जाने वाले वाहन को जोन आयुक्त/स्वारक्ष्य अधिकारी/जोन स्वारक्ष्य अधिकारी के निर्देशानुसार कार्य कराना होगा।
  - अनुबंधकर्ता को मिनी चैन एक्सावेटर बॉकेट सहित आवश्यकतानुसार लगानी होगी।
  - निविदाकार को जी.एस.टी. के संबंध में राज्य शासन के निर्देशों का पालन करना होगा।
  - निविदाकार को प्रतिदिन निर्धारित समयानुसार निर्धारित स्थल पर वाहन (08 घंटा प्रतिदिन) के लिए उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। आवश्यकतानुसार कार्य दिवस में कमी या वृद्धि किया जा सकता है।
  - निविदाकार वाहन डीजल, चालक, हेल्पर सहित उपलब्ध करायेगा।
  - अनुबंधकर्ता को डीजल सहित समर्त संधारण कार्य, वाहन चालक तथा हेल्पर आदि की व्यवस्था की जिम्मेदारी होगी।
  - निविदाकार को वाहन खराब होने पर वैकल्पिक व्यवस्था कराना होगा।
  - आवश्यकतानुसार वाहन की संख्या कम या अधिक की जा सकेगी, साथ ही निर्धारित 08 घंटे से अधिक आवश्यकतानुसार कार्य लिया जावेगा।
  - अनुबंधकर्ता को वाहन का व्यवसायिक पंजीयन, वाहन का बीमा, वाहन चालक का लायरेस जिवित होना अनिवार्य होगा। मुख्य कार्यालय में सभी दस्तावेज उपलब्ध कराना होगा एवं कार्य स्थल पर संबंधित वाहन में समर्त दस्तावेज रखना होगा।
  - किसी भी प्रकार की घटना, दुर्घटना इत्यादि होने पर अनुबंधकर्ता जिम्मेदार होगा, चायालय प्रकरण हेतु समर्त जावाबदारी अनुबंधकर्ता की होगी। निगम वाहन से होने वाली किसी भी दुर्घटना का जिम्मेदार नहीं होगा।
  - वाहन की कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। आर.टी.ओ. विभाग का फिटनेश प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य होगा।
  - वाहन चालक, हेल्पर नशे की स्थिति में कार्य करते पाये जाने पर अनुबंधकर्ता के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी तथा तत्काल अनुबंध निरस्त किया जावेगा।
  - उक्त कार्य हेतु निविदाकार को निविदा के समय रुपये 10,700.00 / (रु.दस हजार सात सौ) की एफ.डी.आर जमा किया जाना होगा।
  - अनुबंधकर्ता को वाहनों के कार्य का सत्यापन संबंधित प्र. जोन स्वारक्ष्य अधिकारी/ स्वारक्ष्य अधिकारी से कराया जाना होगा। वाहनों द्वारा किये जाने वाले कार्य का प्रगति प्रतिवेदन रजिस्टर में संधारित करना होगा। जिसमें वाहन चलाने का समय, खड़ी होने का समय उल्लेखित होगा।
  - निगम द्वारा निर्धारित किये गये स्थल में ही मिनी चैन एक्सावेटर लगाना अनिवार्य होगा।
  - मिनी चैन एक्सावेटर मशीन से कार्य प्रारंभ होने का समय एवं माइलो मीटर तथा कार्य समाप्ति का समय एवं माइलो मीटर लागबुक में प्रतिदिन दर्ज करना अनिवार्य होगा।
- नगर निगम एवं अनुबंध कर्ता के बीच किसी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में नगर निगम आयुक्त का निर्णय अंतिम माना जावेगा।

कार्यपालिका अभियंता  
नगर पालिक निगम  
भिलाई

स्वारक्ष्य अधिकारी  
नगर पालिक निगम  
भिलाई